न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 26/18 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. दलीप पुत्र भोमसिंह जाति अहीर निवासी सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:--- प्रतिवादी अपीलांट

बनाम

1 संदीप पुत्र रोहिताश जाति अहीर निवासी सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

2 सयोग पुत्र रोहिताश जाति अहीर निवासी सानोली तह0 मुण्डावर

3 वीरेन्द्र पुत्र अर्जुन सिंह जाति अहीर वासी सानोली तह0 मुण्डावर

4 मनीष पुत्र गूगनसिंह पौत्र अर्जुन सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम सानोली तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0

5 ललित पुत्र गूगनसिंह पौत्र अर्जुन सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम सानोली तह0 मुण्डावर जिला अलवर

6 बीना पुत्री गूगनसिंह पौत्री अर्जुन सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम सानोली तह0 मुण्डावर जिला अलवर

7 सुमन पुत्री गूगनसिंह पौत्री अर्जुनसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर

8 रेशमी देवी उर्फ रमेश पत्नी गूगनसिंह पुत्रवधु अर्जुनसिंह जाति अहीर निवासी सानोली तह0 मुण्डावर जिला अलवर

9 उप पंजीयक मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला अलवर

:---- वादीगण व तर0प्रतिवादीगण असल रेस्पो0

10 आनन्द पुत्र भोमसिंह जाति अहीर निवासी सानोली

भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

11 हवासिंह पुत्र भोमसिंह जाति अहीर निवासी सानोली
12 उर्मिला पत्नी बलवन्त सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम सानोली
13 सरत्ती देवी पत्नी भोमसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम सानोली
तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:---- तरतीबी रेस्पो0)

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर मुण्डावर दिनांक 12.3.2018

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांटस :- श्री पूरण सिंह यादव

2. वकील रेस्पो0 सं0 1 :- श्री जनार्दन शर्मा

3. वकील रेस्पो0 सं02 :- श्री महेन्द्र सिंह यादव

निर्णय दिनांक 23.03.2021

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, मुण्डावर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 118/15 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 12.3.2018 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादीगण प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण वादीगण ने तहत अदालत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 373 रकबा 01 बीघा हाल नम्बर 574 रकबा 13 एयर तथा 575 रकबा 12 एयर वाके ग्राम सानोली तहसील मुण्डावर प्रार्थीगण के पिता व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता व दादा अर्जुन ने तत्कालीन खातेदार चन्दगी वगैरा से जरिये पंजीकृत बयनामा खरीद की थी और कब्जा प्राप्त किया था । विकेता चन्दगी, रणजीत व भोमसिंह तीनों सगे भाई है, जिन्होंने आपसी सहमति से साबिक खसरा नम्बर 373 का सौदा प्रार्थीगण के पिता/दादा अर्जुनसिंह से कर बयनामा चन्दगी व रणजीत ने अपने स्वयं के हिस्से का व भोमसिंह के 1/3 के विकय का केतागण के पक्ष में लिख

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

दिया था । विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है। पूर्व में एक वाद बाबत दखलयाबी का बलवन्तसिंह बनाम गूगन प्रस्तुत हुआ था, जो दिनांक 13.11.2002 को खारिज हो गया था । अब प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को आराजी से बेदखल करना चाहते हैं और आराजी को खुर्दबुर्द करने पर आमदा है । अतः उन्हें पाबन्द किया जावे । तहत अदालत ने उक्त प्रार्थन पत्र अपीलाधीन निर्णय द्वारा स्वीकार किया है,जिसकी यह अपील प्रतिवादी दलीप द्वारा प्रस्तुत की गई है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि मेरे पिता भोमसिंह ने विवादित आराजी मे अपना 1/3 भाग ना तो वादीगण के पिता व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता व दादा अर्जुनसिंह को बेचान किया है और ना ही कब्जा दिया है और ना ही दिनांक 15.2.74 को कोई शपथ पत्र दिया है । शपथ पत्र फर्जी व बनावटी है । अगर भोमसिंह को अपना हिस्सा बेचना होता तो वे बयनामा ही करा देते, शपथ पत्र क्यों देते । शपथ पत्र भी बयनामा के 5 साल बाद का है । विवादित आराजी से असल रेस्पो0 वादीगण का कोई सरोकार नहीं है । धारा 212 के तीनों बिन्दू मेरे पक्ष में है, फिर भी हमको पाबन्द कर दिया । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील असल रेस्पो0 ने धारा 212 के अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विवादित भूमि हमारी खरीदशुदा भूमि है, जिस पर हमारा वक्त खरीद से कब्जा चला आ रहा है । अपीलांट के पिता ने हमारे पक्ष में शपथ पत्र भी दिया था । धारा 212 के तीनो बिन्दू हमारे पक्ष में साबित है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । पक्षकारों के हक हकूकों का निर्णय मूल वाद में तय होना है । हम यहां अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण का निस्तारण कर रहे हैं,जिसके लिये धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के तीनों बिन्दुओं को देखा जाना है । विवादित भूमि प्रार्थीगण असल रेस्पो0 की खरीदशुदा आराजी है और वक्त खरीद से प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है । पूर्व में एक वाद बाबत दखलयाबी का अप्रार्थीगण असल द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो खारिज हो चुका है । इसका तात्पर्य यही है कि अप्रार्थीगण असल का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है । प्रार्थीगण वादीगण का कब्जा होने की सूरत में प्रथमदृष्टतया मामला

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

वादीगण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। माननीय राजस्व मण्डल ने भी अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि कब्जेधारी व्यक्ति के पक्ष में प्रथमदृष्टतया मामला बनता है अर्थात कब्जेधारी व्यक्ति के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिये । प्रार्थीगण वादीगण के पक्ष में प्रथमदृष्टतया मामला साबित होने से अन्य बिन्दू सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति भी प्रार्थीगण वादीगण के पक्ष में साबित है । तहत अदालत द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, वह उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में विधिसम्मत है, जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत का निर्णय दिनांक 12.3.2018 यथावत रखा जाता है ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर